न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

नि 2390-PBR-16 (2390 PBR/16)

श्री .... द्वारा आज दि. 21.7.16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

नारायण पिता गंगाराम जाति कुलमी उम्र 60 वर्ष
धंधा खेती निवासी ग्राम जोतपुरा तह0 मनावर जिला धार

..........................निगरानीकर्ता

बनाम

1— मोतीलाल पिता गंगाराम जाति कुलमी उम्र 52 वर्ष
धंधा खेती निवासी कोसवाडा तह0 मनावर जिला धार

2— हिरालाल पिता गंगाराम जाति कुलमी उम्र 50 वर्ष
धंधा खेती निवासी कोसवाडा तह0 मनावर जिला धार

..........................प्रतिनिगरानीकर्तागण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 भूरासं 1959 मुजब

21.7.16

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता का अत्यंत विनम्रता से निवेदन है कि ग्राम उरदना तहसील मनावर जिला धार की भूमि के संबंध में सर्वे नंबर 64/1/2 रकबा 6.688 हैक्टर लगान 36.43 पैसे होकर उक्त भूमि के संबंध में पूर्व में प्रकरण चला होकर स्वयं मूल स्वामी गोदावरीबाई विधवा लिमजी ने उक्त भूमि के संबंध में मेरे हित में एक अंश पर मेरा नाम व हक रहेगा और एक अंश पर लाडुबाई का रहेगा। खुलासा कर वसीयत दिनांक 01.08.1998 की है उसी तारतम्य में एक सहमतिनामा भी बाद में ग्राम उरदना तहसील मनावर की भूमि का खुलासा कर दिनांक 30.07.2007 जिसकी तस्दीक नोटरी से 31.07.2007 की होकर तहसील में अर्ज देकर तहसील में सहमतिशुदा प्रप्रत्र पेश कर जो नोटरी से तस्दीक है जो दिनांक 30.07.2007 जिसकी तस्दीक नोटरी से 31.07.2007 की होकर तहसील का है। जिस संबंध में विधिवत प्रकरण चले होकर नाम भी हुआ है जो भूमि सर्वे नंबर 64/1/2/2 रकबा 6.270 हैक्टर होकर जिस संबंध में खाते खसरे में उल्लेख भी आया है व देवकुंवरबाई जो मूल स्वामी थी उसके बाद एकमात्र हकदार मैं रहा लेकिन गोदावरीबाई का नाम व्यर्थ था उसे हक नही था गोदावरीबाई को दिनांक 12.05.

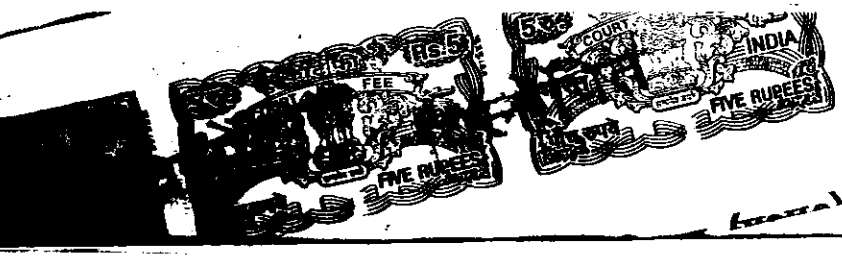

2009 को न तो उसका कब्जा था न नाम था न कब्जा था न मोतीलाल के हक में न हिरालाल के हक में प्रपत्र लिखने हक था गंगाराम व देवराम की गवाही भी नही हुई। कोई व्यर्थ व असत्य कागज पर से जबकि मैं अर्ज में सहमत हूं न मेरी ओर से कोई अभिभाषक पत्र दिया है फिर भी छलयुक्त अर्जी पेश करी। जो व्यर्थ थी जो राजस्व प्रकरण क्रमांक 24/2015–16/अ–6 पर कायम हुआ जो दिनांक 01.12.2015 को पेश हुआ जिसमें दिनांक 11.07.2016 को जिसमें मेरी अर्जी नही है जिसे अपास्त कर उसे कंटीन्यु कर जो आज्ञा दी जबकि मूल प्रकरण अपास्ति योग्य है। जबकि इसी नेचर की एक कार्यवाही पूर्व में भी दिनांक 23.11.2010 को पेश हुई थी वह स्वयं हिरालाल ने दिनांक 28.06.2011 को अपास्त करा ली अपास्त हुई ये सारी बाते हिरालाल व मोतीलाल ने छिपाई है और एक पुनः गलत तौर पर मेरे हस्ताक्षर न होते हुए मेरे नाम से कोई कार्यवाही पेश कर दी जो विधिक नही है जबकि स्वयं गोदावरीबाई पक्ष है जो दिवानी द्वितीय अपील क्रमांक 970/2007 जिसमें यह भूमि डिस्प्युटेड है लेकिन कब्जा मेरा आज भी है यह सब होते हुए वर्तमान कार्यवाही हिरालाल व मोतीलाल की दिवानी में चल रहे पूर्व के प्रकरण को देखते हुए स्थगित होना अर्ज है समाप्त होना अर्ज है इस संबंध में विधि स्पष्ट है उक्त आज्ञा से असंतुष्ट होकर तत्संबंधी सहायता के लिए यह निगरानी निम्न आधारो पर कानून सम्मत सादर सदभावनापूर्वक पेश है :–

R 2390-PBR/16 दर्ज

15.12.2016 आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक एवं अनावेदकगण की ओर से श्री आर०डी० शर्मा अभिभाषक उपस्थित। इस न्यायालय में तहसीलदार के जिस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, उसमें ऐसा कोई बिन्दु नहीं है, जिस पर उस निगरानी में विचार किया जावे। अतः, यह निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

अध्यक्ष

15.12.16